समाहरणालय, सीतामढ़ी
जिला कल्याण प्रशाखा

पत्रांक : – 27 / जि.क.दिनांक : 15·01·18

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– अनुसूचित जाति / जनजाति आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों के उपयोग हेतु आवश्यक क्रय के लिए अल्पकालिक निविदा प्रकाशन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस जिला अन्तर्गत संचालित रा0 अनु0 जाति आवासीय उच्च विद्यालय, राघोपुर, बखरी, सीतामढ़ी में विभिन्न सामग्री के क्रय के लिए अल्कालिक निविदा आमंत्रित हेतु निमित राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन कराने की कृपा की जाँय। सुलभ प्रसंग हेतु C.D. (निविदा से संबंधी) इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

समाहरणालय, सीतामढ़ी

जिला कल्याण कार्यालय

अल्पकालिक निविदा

सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में वर्षः–2017–18 के लिए छात्रावासी छात्र हेतु पोशाक/पठन–पाठन सामग्री आदि सामग्रियों की आपूर्ति की जानी है, इन सामग्रियों की सूची विशिष्टियों के साथ संलग्न है। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता/निर्माता से दिनांकः–30.01.2018 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक Double-Bid system के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची, निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र जिला कल्याण कार्यालय, सीतामढ़ी से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा की शर्तें एवं अन्य विवरण जिले की website.www.sitamarhi.bih@nic.in एवं जिला कल्याण कार्यालय, सीतामढ़ी के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

प्राप्त सभी निविदाओं को निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दिनांकः–30.01.2018 को अपराह्न 2:00 बजे उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी–सह–अध्यक्ष क्रय समिति के समक्ष खोल कर निर्णय लिया जायेगा।

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

समाहरणालय, सीतामढ़ी
(जिला कल्याण कार्यालय)

....
....

सीतामढी जिला अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अल्पकालिक निविदा की शर्तें

सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा double-bid system के अन्तर्गत दिनांकः– 30.01.18 को 11:00 बजे पूर्वाहन/अपराह्न तक जिला कल्याण कार्यालय, सीतामढ़ी में प्राप्त की जायगी। निविदा में समर्पित दोनों लिफाफों में एक मुहरबंद लिफाफा तकनीकी बिड का होगा जबकि दूसरा मुहरबंद लिफाफ वित्तीय बिड का होगा। दोनों मुहरबंद लिफाफे एक अन्य मुहरबंद लिफाफे के अन्दर डाल कर समर्पित किया जायेंगे।

क. तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिर्वाय होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिष्ठान/प्रोपराईटर के पैन कार्ड की छायाप्रति के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2014–15, 2015–16, 2016–17) का आयकर रिर्टन की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ 50000.00 (पचास हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्त, अग्रधन के रूप में जमा करना होगा जो जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पदनाम से देय होगा।
4. निविदादाता का Turn Over वित्तीय वर्षः–2015–16 या 2016–17 में कम से कम 500000.00 (पॉच लाख) रूपये होना अनिवार्य है एवं इस आशय के आवश्यक कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म के नाम/निर्माता क्रम्पनी के नाम पर नवीतनम (Latest) ISO प्रमाण–पत्र होना चाहिए।
6. उन निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनकों इस क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो एवं जिनके द्वारा बिहार सरकार के किसी विभाग/संस्था/सरकारी विद्यालयों आदि में इस प्रकार की सामग्री पूर्व में आपूर्ति की गई है, उन्हें इस आशय का प्रमाण–पत्र/क्रयादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र देना होगा।
8. तकनीकी निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्रीयों की विशिष्टता/गुणवत्ता से संबंधित विवरण देना अनिवार्य होगा।

ख. वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. वित्तीय निविदा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निविदा प्रपत्र में मदवार सिर्फ एक ही दर देना होगा एवं यह दर सभी करों सहित संबंधित विद्यालयों में पहुँचाने के साथ होगा।
2. वित्तीय निविदा में किसी प्रकार की Cutting/Overwriting होने परे इसे अस्वीकृत कर दिया जायगा।

ग. अन्य शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायगी।
2. क्रय समिति द्वारा निविदादाता निर्धारित होने के उपरांत कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व आपूर्तिकर्त्ता को एकरारनामा सम्पादित कराना होगा।
3. किसी भी विवाद कि स्थिति में सीतामढ़ी न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
4. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. निविदादाता तकनिकी निविदा के कागजातों को मांगे गये क्रम में उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में अंकित कर समर्पित करना होगा।

6. निविदादाता को निविदा खुलने के समय सामग्रियों का नमूना क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति करने के उपरान्त विधिवत प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नही होगा।
8. निविदा स्वीकृति के पश्चात संबंधित सफल आपूर्तिकर्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपूर्ति के आदेश के एक पक्ष के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरुप उचित संख्या, साईज, गुणवता मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रुप से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरुद्ध कानून के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
9. स्वीकृत किये गये सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गई सामग्रियों में गुणवता तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नही किया जाएगा।
10. सामग्री की गुणवता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर की निविदाकर्ता को अधिमान्यता दी जायेगी।
11. बिना कारण बताये निविदा रदद् करने एवं ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से साम्रगियों की आपूर्ति लिया जा सकता है।

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

समाहरणालय, सीतामढ़ी
(कल्याण प्रशाखा)

सामग्रियों की आपूर्ति के लिए निविदा

(01) पठन–पाठन सामग्री

अनु0 जाति आवासीय उच्च विद्यालय, सीतामढ़ी में सामग्रियों का आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा :–

क्र0सं0	सामग्री का नाम	ब्रांड नेम (यदि कोई हो तो)	दर (सभी कर सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रजिस्टर			
2	सिंगल लाईन कॉपी			
3	कलम			
4	पेंसिल			
5	औजार बॉक्स			
6	ग्राफ कॉपी			

(2) पोशाक सामग्री

क्र0सं0	सामग्री का नाम	ब्रांड नेम (यदि कोई हो तो)	दर (सभी कर सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	हवाई चप्पल (छात्रो हेतु)			
2	काला जूता (छात्रो हेतु)			
3	मोजा (छात्रो हेतु)			
4	तौलिया (छात्रो हेतु)			
5	शर्ट एवं पैंट (छात्रो हेतु सिलाई सहित)			
6	गंजी (छात्रो हेतु)			
7	जांघिया (छात्रो हेतु)			
8	पी0टी0 शू (छात्रो हेतु)			
9	टी–शर्ट (छात्रो हेतु)			

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

(05)समर्पित कागजातों / **Enclosures** निम्न क्रम में संलग्न करना होगा एवं सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित करनी होगीः–

क्र0सं0	संलग्न करने वाले कागजातों का विवरण	पृष्ठ संख्या................से............ ....तक
1	2	3
1	वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति / नवीनतम वैठ चुकता प्रमाण–पत्र (मार्चः–2016 / जून 2016)	
2	पैन कार्ड / आयकर रिटर्न की प्रति	
3	अग्रधन का बैंक, ड्राफ्ट	
4	Utrn Over से संबंधित कागजात	
5	Latesh ISO प्रमाण–पत्र	
6	अनुभव प्रमाण–पत्र	
7	काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र	
8	विशिष्टता / गुणवत्ता संबंधी विवरण	

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।